न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतनलाल योगी, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 33/2017
प्रविष्टि दिनांक – 13.04.2017
निर्णय दिनांक – 12.02.2020

उनवान

1. बसंत कुमार पुत्र सौभागमल, जाति जैन निवासी महावीर चौक, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र सौभागमल, जाति जैन निवासी महावीर चौक, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।
3. रमेशचंद पुत्र सौभागमल, जाति जैन निवासी महावीर चौक, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।
4. अनिल कुमार जैन पुत्र स्व0 टीकमचंद जाति जैन निवासी महावीर चौक, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।
5. नवीन कुमार पुत्र स्व0 टीकमचंद जाति जैन निवासी महावीर चौक, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।
6. कमलेश कुमार पुत्र स्व0 टीकमचंद जाति जैन निवासी महावीर चौक, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।
7. प्रवीण कुमार पुत्र स्व0 टीकमचंद जाति जैन निवासी महावीर चौक, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।
8. सुशील कुमार पुत्र स्व0 माणंकचंद जाति जैन निवासी महावीर चौक, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।
9. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 टीकमचंद जाति जैन निवासी महावीर चौक, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।
10. अरूण कुमार पुत्र स्व0 टीकमचंद जाति जैन निवासी महावीर चौक, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जैन समाज तेरापंथ, टोंक राजस्थान जरिये अध्यक्ष–चांदमल पुत्र स्व0 मूलचंद जाति जैन निवासी पाटनीयों का मोहल्ला, पुरानी टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।
2. जैन समाज तेरापंथ, टोंक राजस्थान जरिये मंत्री –पवन कुमार पुत्र प्रेमचंद जैन, जाति जैन निवासी अहीरो का मोहल्ला, पुरानी टोंक, तहसील टोंक, जिला टोंक राजस्थान।
3. तहसीलदार टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (लेण्ड होल्डर)

प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री शुजाअत हुसैन व श्री सीताराम विजय– अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री तेजमल जैन– अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

निर्णय

दावा बाबत–दुरूस्ती इन्द्राज, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र बाबत दुरूस्ती ईन्द्राज, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 5728 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा टोंक शर्की जो वर्तमान में जैन नसिया व बाग के रूप में है, जो रियासतकाल के दौरान तत्कालीन नवाब द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज सेठ नाथूरामजी को अता

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned with CamScanner

की थी, जिन्होने उक्त स्थान को बाग व नंसिया के रूप में विकसीत किया था, तभी से उक्त स्थान को सेठ नाथूरामजी की जैन नसिया के रूप में पुकारा जाने लगा तथा उक्त भूमि में नाथूराम जी के फौत होने के बाद उनके वारिसान क्रमशः मन्नालाल, जवाहरलाल जी की पत्नि मांगीबाई, मांगीबाई के बाद वसीयत से सौभागमल के नाम लगी। लेकिन उक्त भूमि नाथूरामजी के नाम से ही अंकित रही, जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रतिपक्षीगण ने राजस्व रिकार्ड से सेठ नाथूरामजी का नाम विलोपित करवा दिया है। टोंक नवाब साहब ने सेठ नाथूरामजी को भूमि का मालिकाना, प्रशासनिक अधिकार व उसका कब्जा दिलवाया और उसके इस्तेमाल करने के समस्त अधिकार दिये और नवाब साहब ने फरमान में स्पष्ट अंकित किया कि इस जमीन पर कोई मुजाहिमत और एतराज न करें और जिनको यह जमीन दी गई है वह इस पर काबिज रहे और इसे इस्तेमाल करे। उक्त खसरा नम्बर 5728 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसका साबिक नम्बर 5178 रकंबा 3 बीघ 17 बिस्वा जो साबिक रिकार्ड के अनुसार सेठ नाथूरामजी व उसके वारिसान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर सेठ नाथूरामजी एवं उनके वारिसान ने कुआ कुछ कमरे एंव चार दीवारी का निर्माण करवाया तथा कुछ हिस्से को एक बाग के रूप में तैयार करवाया था। समाज के कुछ व्यक्तियों ने जो सेठ नाथूरामजी तथा उनके वारिसान से व्यक्तिगत रूप से रंजिश रखते थे, द्वारा एक वाद तत्समय माननीय न्यायालय, सहायक कलेक्टर एंव प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट टोंक में प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात को तेरापंथी जैन समाज की बताकर रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया। उक्त वाद से संबंधित आराजीयात के बाबत दिनांक 24.12.1963 को प्रार्थीगण के पूर्वज श्री सौभागमलजी एंव उस दावे के प्रार्थीगण के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें यह तय किया गया कि उक्त आराजीयात में निर्मित नंसिया एंव बाग को सेठ नाथूरामजी के नाम से जाना जावेगा। वाद में डिक्री में उक्त तथ्यों का वर्णन ना करने से तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा इजराय से पूर्व ही नामांतकरण भरवाने से उक्त आराजीयात तनहा तेरापंथी जैन समाज टोंक के नाम अंकित कर दी गई। समझोते के आधार पर माननीय सहायक कलेक्टर टोंक द्वारा दिनांक 24.12.1963 को ही राजीनामा प्रस्तुती पर वाद का निर्णय दि दिया गा जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि खसरा नमब्र 5728 में निर्मित बाग व नंसिया का नाम हमेशा–हमेशा के लिये सेठ नाथूरामजी के नाम से चलता रहेगा और इस नाम में कोई तब्दीली नहीं की जावेगी तथा मुदायला श्री सौभागमलजी आराजी मुतनाजा बाग नंसिया का खाता तेरापंथी जैन समाज के नाम से करा देगा। उक्त निर्णय की इजराय कराये बिना ही नामांतकरण सं0 666 दिनांक 16.01.1964 को भरा गया एंव निर्णित हुआ है, जिसके कॉलम सं0 11 में जैन नंसिया सेठ नाथूरामजी का अंकन नहीं कर केवल जैन दिगम्बर तेरापंथ समाज साकिन पुरानी टोंक का ही अंकन कर दिया गया। जबकि राजीनामें के अनुसार बाग व नंसिया का नाम जैन नंसिया सेठ नाथूरामजी अंकित किया जाना चाहिये था। इस प्रकार राजिनामे के अनुसार नामांतकरण में जैन नंसिया सेठ नाथूरामजी का नाम उक्त बाग व नंसिया के लिये नहीं होने से उक्त नामांतकरण प्रथम दृष्या ही अवैध है और प्रार्थीगण के हितों के प्रति शून्य है। उक्त निर्णय के बाद उक्त नंसिया के मुख्य दरवाजे पर प्रार्थीगण के पूर्वज सेठ नाथूरामजी के नाम से जैन नंसिया सेठ नाथूरामजी मुख्य द्वार पर तत्समय निर्माण के वक्त अंकित किया गया था, को प्रतिपक्षीगण ने मिटा दिया है, जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रमाण तत्समय की फोटो संलग्न है। उक्त राजीनामे के समय उक्त भूमि प्रथम बार जैन दिगम्बर जैन तरहपंथ समाज को हस्तांतरण हुई थी, जो 100 रूपये से अधिक की सम्पत्ति होने से पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर ही हस्तातंरण की जा सकती थी, इस कारण भूमि की कीमत पर निर्धारित स्टाम्प ड्यूटि पेश होने पर ही डिक्री बनायी जा सकती है, जिससे भी उक्त निर्णय व डिक्री कानूनन अवैध है और जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया जा सकता। उक्त इन्द्राज राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना उचित एंव न्याय संगत है। राजीनामें की शर्तो के अनुसार बाग व नंसिया का नाम सेठ

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned with CamScanner

नाथूरामजी के नाम से यथवत रखना था जिसकी ताईद में नंसिया के बाहरी दरवाजे पर शिला पट्टी पर नसिंया सेठ नाथूरामजी का नाम चस्पा करने के बाद उक्त शर्त पूरी होने पर खातेदार श्री सौभागमलजी सेठ नाथूरामजी की नसियां जैन समाज तेरहपंथी के नाम विधिवत रूप से यानि पंजीकृत दस्तावेज से नामांतकरण खुलवाते इससे पूर्व ही जैन समाज तेरापंथी के कुछ व्यक्तियों ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर स्टाम्प ड्यूटि से बचने के लिये बाला बाला ही डिक्री की इजराय के बिना ही नामांतकरण भरवाकर जैन समाज के नाम तस्दीकी करवा लिया जो अवैध एंव शून्य है, जबकि राजीनामें के अनुसार इस नामांतकरण में सेठ नाथूरामजी की नंसिया अंकित होना था। राजस्व रिकार्ड में जैन नंसिया सेठ नाथूरामजी का नाम नहीं होने से अब प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण को ऐलानिया कहने लगे है कि इस नंसिया व बाग से सेठ नाथूरामजी या उनके वारिसान कोई संबंध नहीं है तथा वे पूर्व राजीनामें के अनुसार मुख्य द्वार पर जैन नंसिया सेठ नाथूरामजी का नाम मोटे अक्षरों में यानि उनकी नाम प्लेट नहीं लगायेगें और राजस्व रिकार्ड में भी जैन नंसिया सेठ नाथूराम जी का नाम अंकित नही करवायेगें, इस कारण यह घोषित किया जाना आवश्यक है कि उक्त आराजीयात के वास्तविक खातेदार जैन दिगम्बार तेरहपंथ समाज के स्थान पर अलमशहूर जैन नंसिया सेठ नाथूराम–दिगम्बर जैन तेराहपंथ समाज किया जावे। राजीनामें के अनुसार प्रतिपक्षीगण उक्त जैन रंसिया बाग के मुख्य द्वार एंव नंसिया पर जैन नसियां सेठ नाथमरामजी का नाम अंकित नहीं कर प्रार्थीगण को मानसिंक सन्ताप पहुंचा रहे है तथा उक्त कार्य करने से मना कर दिया है। इस कारण प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिपक्षीगण स्वंय जरिये ऐजेण्ट नोकर सामाजिक व्यक्ति अधिकृत/ कर्मचारी या अन्य किसी भी माध्यम से उक्त आराजी जैन नंसिया के मुख्य द्वार पर चमकते हुए शिलापट्ट पर जैन नसियां सेठ नाथूरामजी का नाम अंकित करवायें तथा उसे मुख्य द्वार पर चस्पा करवायें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद प्रतिपक्षीगणं को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिपक्षीगण स्वयं जरिये एजेण्ट, नौकर, सामाजिक व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति/कर्मचारी या अन्य किसी भी माध्यम से उक्त आराजी जैन नसियां के मुख्य द्वार पर चमकते हुये शिलापट्ट पर "जैन नसियां सेठ नाथूरामजी" का नाम अंकित करवायें तथा उसे मुख्य द्वार पर चस्पा करवाये तथा उक्त कार्य होने तक उक्त नंसिया में स्वयं के नाम से किसी भी प्रकार का कार्य नही करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षेप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों को न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय, राजीनामा, डिक्री व उसके आधार तस्दीक नामांतकरण सं. 666 दिनांक 16.01.1964 के विरूध यदि कोई आपत्ति थी तो उनको सक्षम न्यायालय में अपील के माध्यम से उसी समय चुनौति दी जानी चाहिए थी परन्तु आज तक अपील नहीं की गयी है इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री व तस्दीक किया गया नामांतकरण व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड का अंकन अंतिम हो चुके है तथा उनके विरूध अब नया वाद लाकर के राजस्व न्यायालय पूर्व के निर्णय, डिक्री, राजीनामा तथा नामांतकरण व जमाबन्दी के अंकन अंतिम हो चुके है तथा उनके विरूध अब नया वाद लाकर के राजस्व न्यायालय के समक्ष उनको चुनोति नहीं दी जा सकती, राजस्व न्यायालय पूर्व के निर्णय डिक्री राजीनामा तथा नामातंकरण व जमाबन्दी के अंकन की वैधानिकता पर कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष देने में सक्षम नहीं है तथा राजस्व न्यायालय को निषेधात्मक आदेश देने की शक्तियां प्राप्त है परन्तु आज्ञापक व्यादेश के अन्तर्गत आदेश देने की शक्तियां प्राप्त नहीं है, प्रार्थीगण राजीनामा व डिक्री से एस्टोप्ड है तथा कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित नहीं है

सहायक कलेक्टर
टोंक (राज.)

Scanned with CamScanner

क्योंकि उन्होने कीी ीी सकायक कलेक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय डिक्री राजीनामा तीी नामांतकरण को अपील के माध्यम से चुनोति नहीं दी है, वर्षों से लेकर आज तक वाग्रस्त सम्पत्ति, जैन नसियां तरहपंथी जैन समाज के अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है। जो रिकार्डेड खातेदार है, जैन समाज द्वारा जैन नसियां में करोडों रूपये खर्च करके विकास कार्य करवाया है जो आज भी तेरहपंथी जैन समाज के अधिकार आधिपत्य तथा नियन्त्रण में है जिसमें नाजायज रूप से विध्न पैदा करने बहुमूल्य सम्पत्ति को हडपने के लिए उक्त दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण का मूल वाद बैदखली का है जो 12 वर्ष की अवधि निकलने के बाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है, ऐसे वादपत्र के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा में धारा–212 राज.टि.एक्ट 1955 के प्रावधानों के तहत आज्ञापक व्यादेश का अनुतोष नहीं दिया जा सकता तथा इस स्तर पर राजस्व न्यायालय द्वारा जैन नसियां के मुख्य द्वार पर चमकते हुऐ शिलापट्ट पर जैन नसियां सेठ नाथूरामजी अंकित करवाये जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता तथा रिकार्डेड खातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार वर्तमान मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथवत बराये रखने के लिए भी आदेश नही दिया जा सकता है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार सुविधा का संतुलन का प्रश्न भी सिद्ध नहीं है क्योंकि आज की स्थिति में यदि इस प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो सर्वप्रथम तो वह राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बाहर है तथा जैन समाज में अनावश्यक रूप से लडाई झगडे व शांति भंग का कारण होगा। वर्तमान में उक्त सम्पत्ति तेरहपंथी जैन समाज के अधिकार एंव आधिपत्य एंव नियन्त्रण में चली आ रही है जिसमें करोडों रूपये खर्च करके विकास कार्य करवाया है, सुविधा का संतुलन भी उपरोक्त परिस्थितियों में प्रतिपक्षीगण के पक्ष में है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में प्रतिवादीगण की ओर से नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा टोंक शर्की खाता नं0 313, नकल नामान्तरकरण नं0 666 ग्राम कस्बा टोंक शर्की, नकल राजीनामा दिनांक 24.12.63, नकल जमाबन्दी उर्दु बन्दोबस्त सन 1942 ग्राम कस्बा टोंक शर्की, नकल जमाबन्दी उर्दु बन्दोबस्त से हिन्दी ग्राम कस्बा टोंक शर्की, राजस्थान राज गजट पत्र रजिस्ट्रेशन नं. आर जे 2777–93, संलग्न फोटो मन्दिर सेठ नाथूराम जी जैन नसीया टोंक प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में वादीगण की ओर से नकल राजीनामा दिनांक 24.12.63 राजीनाम का साफ रूपान्तरण, नकल आदेश दिनांक 24.12.63, फोटो कापी ओदश दिनांक 24.12.63 का साफ रूपान्तरण, फोटो कापी राजस्थान राजपत्र 25 सितम्बर 1994, फोटो कापी जैन गजर समाचार पत्र, फोटो कापी दिगम्बर जैन समाज राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, फोटो कापी बुक पोस्ट, नकल जमाबन्दी सम्वत सन 1915–16 भोजा कस्बा टोंक उर्दु में, नकल जमाबन्दी सन 1915–16 मोजा कस्बा टोंक का हिन्दी रूपान्तरण, नामान्तरकरण सं0 666 एंव फोटोग्रॉफ प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा निम्नांकित नज़ीरें पेश की गयी

RRD 2014 Page No. 499
RRD 2018 Page No. 276
AIR 1996 Page No. 196
RLW 2007 Page No. 1236
RRT 2017 SC Page No. 1024
RRI 1999 Page No. 19
RBJ (27) 2020 Page No.62
RRD 2009 Page No. 673
RLW 2015 Page No. 1438

Scanned with CamScanner

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण के हक अधिकार संबंधी तथ्य, साक्ष्य दस्तावेजो से मूल वाद में निर्धारित किये जाकर निर्णय किये जायेंगे। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में अपीलाधीन है।

प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का मुख्य कारण यह प्रकट किया है कि जैन समाज एंव प्रार्थीगण के पूर्वजों के मध्य हुए राजीनामें के अनुसार प्रतिपक्षीगण उक्त जैन रंसिया बाग के मुख्य द्वार एंव नंसिया पर जैन नसियां सेठ नाथमरामजी का नाम अंकित नहीं कर प्रार्थीगण को मानसिंक सन्ताप पहुंचा रहे है तथा उक्त कार्य करने से मना कर दिया है। ओर मांग की है कि ताफैसला मूल वाद प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि प्रतिपक्षीगण स्वयं जरिये एजेण्ट, नौकर, सामाजिक व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति/ कर्मचारी या अन्य किसी भी माध्यम से उक्त आराजी जैन नसियां के मुख्य द्वार पर चमकते हुये शिलापट्ट पर "जैन नसियां सेठ नाथूरामजी" का नाम अंकित करवायें तथा उसे मुख्य द्वार पर चस्पा करवाये तथा उक्त कार्य होने तक उक्त नंसिया में स्वयं के नाम से किसी भी प्रकार का कार्य नही करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे।

जवाब में अप्रार्थीगण ने उनके उक्त तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि उनके पूर्वजों को न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय, राजीनामा, डिक्री व उसके आधार तस्दीक नामांतकरण सं. 666 दिनांक 16.01.1964 के विरूध यदि कोई आपत्ति थी तो उनको सक्षम न्यायालय में अपील के माध्यम से उसी समय चुनौति दी जानी चाहिए थी परन्तु आज तक अपील नहीं की गयी है, प्रार्थीगण का मूल वाद बैदखली का है जो 12 वर्ष की अवधि निकलने के बाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है, ऐसे वादपत्र के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा में धारा–212 राज. टि.एक्ट 1955 के प्रावधानों के तहत आज्ञापक व्यादेश का अनुतोष नहीं दिया जा सकता, प्रार्थीगण का किसी प्रकार सुविधा का संतुलन का प्रश्न भी सिद्ध नहीं है क्योंकि आज की स्थिति में यदि इस प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो सर्वप्रथम तो वह राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बाहर है तथा जैन समाज में अनावश्यक रूप से लडाई झगडे व शांति भंग का कारण होगा।

राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि जैन समाज की खातेदारी में है एंव उनके अधिकार एंव आधिपत्य एंव नियन्त्रण में है इस कारण सुविधा का संतुलन भी उपरोक्त परिस्थितियों में प्रतिपक्षीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज **दिनांक 12.02.2020** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned with CamScanner